दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 07 मार्च 2020

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाते हुए ट्रेक्टर पलटाई, इंजन में बैठा युवक ट्राली में दबकर फौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम चिल्कागुडा में रहने वाला नरसिंग एक्का पिता अस्सीराम एक्का उम्र 45 साल दिनांक 05/03/20 के शाम अपने लडका शांति प्रकाश एक्का तथा गांव वालो के साथ भगत राठिया के ट्रेक्टर में बैठकर ईटा लाने डंगबीरा गया था। वहां से ट्रेक्टर चालक भूषण गिरी के साथ खाली ट्रेक्टर लेकर वापस घर आ रहे थे कि ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को काफी तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये घोघरा नाला के आगे मोड के पास ट्रेक्टर को उतार कर पल्टा दिया जिससे ट्रेक्टर के इंजन में बैठा नरसिंग एक्का दबकर फौत हो गया , उसके लड़के शांती प्रकाश को भी चोंटे आई है। घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में आरोपी ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध अप0क्र0 26/2020 धारा 279,337, 304 (ए) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।

होली 10 मार्च को जिले में शुष्क दिवस घोषित

» समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने रहेंगी बंद

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने 10 मार्च 2020 होली के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1घघ एवं एफ.एल.-3 होटल बार) दुकानें तथा भण्डारण एवं भाण्डागार पूर्ण से बंद रहेगी। कलेक्टर ने संबंधितों को शुष्क दिवस के अवसर पर मदिरा के विक्रय एवं परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखने हेतु निर्देशित किया है।

चोरी की स्कूटी के साथ बाइक चोर गिरफ्तार, थाना चक्रधरनगर की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। सिद्धिविनायक कॉलोनी इंदिरा नगर दिनांक 04.03.2020 को रहने वाले विजय शंकर देवांगन पिता फूलचंद देवांगन उम्र 27 साल अपने नारंगी कलर की स्कूटी सीजीवीएक्सए एचए 4669 में गोवर्धनपुर आए थे। गोवर्धनपुर के पास शाम करीब 6:00 बजे अपनी स्कूटी खड़ी कर अपनी निजी कामों में व्यस्त हो गए। शाम जब घर लौटने के लिए स्कूटी के पास आए तो स्कूटी नहीं थी। आसपास तलाश किए नहीं मिलने पर थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराएं जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 70/200 धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिले में चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को माल मुल्जिम की पतासाजी में कोताही न बरतते हुए शत प्रतिशत मशरूका बरामदगी के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के परिपालन में सभी थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में घटित संपत्ति संबंधी अपराधों में मशरूका की बरामदगी के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। सभी के मुखबीर सक्रिय है कि इसी बीच चक्रधरनगर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रेगड़ा के पास एक व्यक्ति स्कूटी बेचने की फिराक में ग्राहक ढूंढ रहा है। सूचना पर टी.आई. पाटले द्वारा थाने के प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिदार, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी, नंदकुमार साय, अखिलेश कुशवाहा को जाकर तस्दीकी करने निर्देशित किए। पुलिस स्टाफ मौके पर कर संदेही युवक को हिरासत में लेकर थाने लाई और कड़ी पूछताछ किए। जिस पर युवक विजय चौहान पिता दयाराम चौहान उम्र 26 साल निवासी भूपदेवपुर थाना भूपदेवपुर द्वारा दिनांक 04.03.2020 के शाम गोवर्धनपुर शराब भट्टी के पास से उक्त उक्त स्कूटी छत्त-13 ॥/4669 को चोरी करना स्वीकार किया है जिसके कब्जे से स्कूटी कीमती रू.50,000 बरामद कर आरोपी को उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर आज दिनांक 06.03.2020 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

कक्षा 12 वीं परीक्षा में 12645 परीक्षार्थी हुए शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 के तहत जिले में कक्षा 12 वीं अर्थशास्त्र, जीवविज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, एलीमेन्ट ऑफ एनिमल, मेकनिकल टेक्नालॉजी विषय की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 12873 दर्ज परीक्षार्थियों में से 12645 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 228 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

होलिका दहन एवं धुलेंडी को लेकर शांति समिति की बैठक

» निर्धारित समय व निर्धारित स्थान पर हो होलिका दहन » सौहाद्र बिगाडने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही » सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी नजर

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रति वर्ष अनुसार होलिका दहन एवं धुलेंडी पर्व के पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग तथा अन्य प्रमुख विद्युत विभाग, फायर, वन विभाग, स्वास्थ्य विभागों तथा शहर के गणमान्य नागरिकों एवं सम्मानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक ली गई।

बैठक में एडिशनल एसपी रायगढ़ अभिषेक वर्मा एवं एस.डी.एम. रायगढ़ आशीष देवांगन द्वारा तैयार किए गये एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताएं कि - वर्तमान में बोर्ड परीक्षा चल रही है इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना करें। दुर्घटनाओं से बचे होलिका दहन के लिए लकड़ी बिजली खंबे के नीचे ना लगायें। मुखौटा पहनकर, तेज आवाज वाले साइलेंसर का प्रयोग, दुपहिया वाहन में तीन सवारी वर्जित है। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। महिलाएं बच्चों के साथ छिंटाकशी कराने वाले बख्शे नहीं जावेंगे। किसी के ऊपर जबरन रंग गुलाल या ज्वलनशील पदार्थ न लगाएं, कीचड़ एवं चोट पहुंचाने वाले रंग गुलाल पिचकारी का प्रयोग से बचें तथा विशेष रूप से किसी भी धार्मिक स्थानों में रंग गुलाल या अन्य आपत्तिजनक वस्तु न फेंके। ए.एस.पी. ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सोहाद्र बिगाडने वाले विघ्न संतोषी तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही किया जावेगा। शांति समिति की बैठक में सीएसपी रायगढ़, डीएसपी ट्राफिक, तहसीलदार रायगढ़, नगर निरीक्षक कोतवाली, कोतरारोड, चक्रधरनगर, जूटमिल एवं अन्य विभागों के प्रमुख सदस्रों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक एवं मीडिया के सदस्य उपस्थित रहें।

फर्जी फेसबुक आई.डी. बनाकर युवती की अश्लील तस्वीरें वायरल करने वाला आरोपी गया जेल

» आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लायी सारंगढ़ पुलिस

» आरोपी पर सारंगढ़ थाने में आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज है मामला

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में दिनांक 27/09/2019 को 30 वर्षीय युवती द्वारा प्रशांत कुमार झा निवासी बिहार के विरूद्ध इसके ईमेल आई डी से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती के परिचितो को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था तथा युवती को कई नम्बरों से काल कर अश्लील बात कर परेशान कर रहा था।

पीडिता द्वारा लिखित शिकायत थाना सारंगढ़ में किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 454/2019 धारा 509 (ख) भा.द.वि., सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी को जिला रायगढ़ में अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने पर लगातार अपना निवास बदल रहा था। सारंगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी के निवास स्थान की पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही थी कि आरोपी के निवास की जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के मार्गदर्शन पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान के नेतृत्व में

प्रधान आरक्षक मोतीलाल डनसेना एवं भुनेश्वर पण्डा को आरोपी गिरफ्तारी हेतु बिहार राज्य रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के मिलने के हर संभावित स्थानों पर लोकल पुलिस के साथ छापेमारी की जाकर आरोपी प्रशांत कुमार झा पिता बैद्यनाथ झा उम्र 29 वर्ष निवासी फुलवारी थाना ताराबाडी, हाल मुकाम शिवपुरी वार्ड क्रमांक 09, थाना व जिला अररिया (बिहार) को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर सारंगढ़ लाएं जिसे आज दिनांक 06.03.2020 को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है।

लगातार अनुपस्थित रहने वाले 21 शिक्षकों को शो-काज नोटिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ के निर्देश पर विगत तीन माह से अधिक अवधि से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने शो-काज नोटिस जारी किया है। निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद व समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों में बरमकेला विकासखण्ड के मा.शा.बोरे के शिक्षक एलबी रूपराम पटेल, खरसिया विकासखण्ड के प्रा.शा. नवागांव के सहा.शि.एल.बी. श्रवण कुमार सिदार एवं प्रा.शा.मुरा के सहा.शिक्षक पंचायत नरेन्द्र कुमार सिदार, तमनार विकासखण्ड के प्रा.शा.बांधापाली के प्रधान पाठक जन्सन सुधीर तिग्गा

एवं हाईस्कूल कुंजेमुरा के व्याख्याता एल.बी.श्री रमेश सिंह पैकरा विगत तीन माह से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। नैनसिंह राठिया, एवं एवं शा.उ.मा.वि.नंदेली के व्याख्याता रामदयाल सिदार तथा विकासखण्ड पुसौर के शा.उ.मा.वि.जतरी के व्याख्याता पंचायत श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव अनुपस्थित रहे।

तराईमाल जंगल में पूंजीपथरा पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा दिनांक 05.03.2020 को मुखबिर सूचना पर शाम करीब 17.30 बजे तराईमाल जंगल के बीच में 52 पत्ती तास से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआडी (1) देव प्रसाद पिता जितेन्द्र पटेल 21 साल निवासी कोतरलिया थाना चक्रधरनगर (2) ओकेश्वर निषाद पिता चन्द्रशेखर निषाद उम्र 31 वर्ष सा0 बडे गुमडा थाना घरघोडा (3) सुबरन पिता महेत्तर निषाद उम्र 32 वर्ष सा0 तराईमाल को घेराबंदी कर पकड़े जिनके फड व पास से जुमला 3490 रुपये एवं 52 पत्ती तास और एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। जुआरियों पर थाना पूंजीपथरा में धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

सीईओ जिला पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की

» कमजोर प्रदर्शन वाले विकासखण्डों के कर्मचारियों को शो-काज नोटिस जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकासखण्ड समन्वयक एवं कलस्टर समन्वयकों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित कार्यों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबरधन योजना अंतर्गत बायोगैस संयंत्र निर्माण की विस्तृत समीक्षा की

गई।विकासखण्ड धरमजयगढ़, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा में मिशन अंतर्गत समस्त कार्यों की प्रगति धीमी पाये जाने पर जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही विकासखण्ड समन्वयक एवं कलस्टर समन्वयकों को 15 दिवस के भीतर समस्त कार्यों में लक्ष्यगत प्रगति लाने के निर्देश दिए।

सीईओ चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करवाने के निर्देश दिए। जिसके लिए महिला स्व-सहायता समूहों का चयन एवं प्रशिक्षण, स्थानीय स्तर पर अध्ययन भ्रमण के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कर टीकाकरण करवाया जाएगा। जिले में स्वीकृत 48 बायो गैस संयंत्रों के निर्माण एजेंसी को बुलाकर पंचायत स्तर में इसके संचालन का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु प्रत्येक विकासखण्ड से एक-एक मांग पत्र मंगाया गया है। साथ ही पंचायत स्तर पर सभी घरेलू शौचालयों में पाये जाने वाले आंशिक कमियों को तत्काल ठीक कराकर उपयोग कराने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में जिला समन्वयकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर कार्य में प्रगति लाने तथा कमजोर प्रदर्शन वाले विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

ब्याज पर ली थी रूपये, देरी होने पर कर्जदार ने की मारपीट, कर्जा एक्ट के तहत जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका श्रीमती कुन्तिमा सिदार पति महेत्तर सिदार उम्र 35 वर्ष सा0 कुसमुरा थाना कोतरारोड दिनांक 28/02/2020 को लिखित आवेदन थाना कोतरारोड़ में घनश्याम पटेल पिता रामलाल पटेल निवासी कुसमुरा के विरूद्ध ब्याज की रकम देने में विलम्ब होने पर गाली गलौच कर मारपीट करने के संबंध में दिया गया है।

पीडिता बतायी कि घनश्याम पटेल से 3,50,000/- रू0 ब्याज पर उधारी ली थी जिसका स्टाम्प पेपर मे लिखा पढी करायी थी और प्रति माह ब्याज रकम 24,000 रूपये देते आ रही थी। घनश्याम पटेल इसके सास की 75 डिसमिल भुमि का श्रण पुस्तिका एवं एलईडीटीवी को भी ले गया था। पिछ्ले महिना कुन्तिमा सिदार ब्याज रकम नही देने के कारण दिनांक 28/02/2019 के 10/00 बजे घनश्याम पटेल अपने घर बुलाकर पुरा पैसा वापस करने के लिए कुन्तिमा सिदार को बोला।

तब कुन्तिमा सिदार तत्काल पैसा नही दे पाउंगी बोली तो घनश्याम पटेल अश्लील गाली गुफ्तार कर दो थप्पड कुन्तिमा सिदार को मारकर रूपये जल्दी लौटाने की धमकी देने लगा। आवेदन पत्र की जांच में गवाहों का कथन लेखबद्ध कर आवेदिका का मुलाहिजा कराया गया, जांच पर आरोपी घनश्याम पटेल के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 37/2020 धारा 384, 294, 506, 323 भा0द0वि0, 4 कर्जा एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

कोरोना वायरस के संबंध में मेडिकल कालेज की टीम ने दी जानकारी

» वायरस से बचाव तथा होम आइसोलेशन के तरीके भी बताए

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के दिशा-निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में गत दिवस कोरोना वायरस के संबंध में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर मेडिकल कालेज रायगढ़ के डॉ.गणेश पटेल, डॉ.अनमोल मिंज तथा डॉ.राकेश कुमार ने कोरोना वायरस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरसों का एक समूह है, जिससे संक्रमित होने पर व्यक्ति में बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने में जकडऩ्, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया जैसे लक्षण दिखने लगते है। कोराना वायरस खांसने या छीकने से निकलने वाले वाटर ड्रापलेट्स से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से यह फैलता है।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए-क्या करें

साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाये रखे, अपनी आंखों, नाक व मुंह को छूने से बचे, छीकनें और खांसने के दौरान अपना मुंह कोहनी से ढ़के, जब आपके हाथ गंदे दिखे तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं।

गौवंशों में कृत्रिम गर्भाधान योजना में रायगढ़ जिला अव्वल

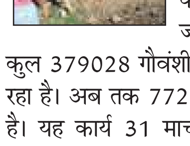

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के क्रियान्यवन के साथ पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं के उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पशुओं में राष्ट्रव्यापी खुरहा चपका उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुल 379028 गौवंशीय एवं 24334 भैसवंशीय पशुओं में सघन टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। अब तक 77255 गौवंशीय एवं 4047 भैसवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। यह कार्य 31 मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है, जिसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर 123 टीकाकरण दल नियमित रूप से कार्य कर रही है। इसी प्रकार एनएआईपी योजना के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान का निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक 17600 गायों का कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसी जिले द्वारा योजनान्तर्गत किया गया सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान है। इस प्रकार रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है।

सट्टा पट्टी लिखने वालों एवं खुले स्थान पर शराब पीने वालों पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। होली त्योहार के पूर्व शहर में शांति व्यवस्था हेतु कोतवाली पुलिस द्वारा लघु एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तेज कर दी गई है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन.?सिंह द्वारा विवेचको को क्षेत्र में जुआ-सट्टा, अवैध शराब, कबाड पर निगाह रखते तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। कल दिनांक 05.03.2020 को कोतवाली पुलिस द्वारा अभियान चलाकर रेल्वे स्टेशन चौक, ढिमरापुर चौक, माल धक्का रोड, संजय मार्केट में पेट्रोलिंग दौरान कार्यवाही किया गया। इस दौरान रेल्वे स्टेशन चौक पर - 1. तुलेश्वर दास पिता शांति दास यादव 25 साल निवासी रेलवे बंगलापारा 2. ढिमरापुर चौंक के पास - राजेश शर्मा पिता राम अवतार शर्मा उम्र 38 साल लालटंकी रायगढ 3. ढिमरापुर चौंक के पास - सूरज यादव पिता संगतराम यादव उम्र 44 साल निवासी इदिरानगर रायगढ रायगढ़ को सट्टा-पट्टी लिखने की सूचना पर पकड़ा गया। इन तीनों से सट्टा-पट्टी व 1210 रूपये नगद जप्त किया गया है। आरोंपियों पर धारा 4 (क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। माल धक्का रोड पर 1. गोपाल देवांगन पिता स्व. गिरधर देवांगन उम्र 47 साल निवासी शिव शीतला मदिर के पास रायगढ एवं 2. संजय मार्केट सार्वजनिक स्थान पर - कार्तिक सारथी पिता स्व. रामप्रसाद सारथी उम्र 55 साल जोगीडीपा रायगढ शराब सेवन करते मिले जिन पर धारा 36-च आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

» महिलाओं में उचित पोषण के लिए दिया गया जोर

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत पीसी एण्ड पीएनडीटी के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं महिलाओं पर जागरूकता कार्यक्रम गत दिवस कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस मौके पर ममता फाउन्डेशन के राजेश शर्मा ने फाउन्डेशन द्वारा बालिकाओं के लिए किये जा रहे कार्यो को बताया। एल.एच.बी. श्रीमती पुष्पलता पाणिग्राही ने कहा महिलाओं में जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। घर में महिलायें सबको खाना खिलाने के बाद स्वयं अंत में बचा खुचा खाना खाती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। सुबह से खाली पेट ही घर का सारा काम करते रहती हैं। इस कारण उनको गैस एवं कमजोरी आदि की समस्या होती है। इन सबसे बचने के लिए उनको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता

है। सही समय पर भोजन तथा संतुलित आहार लेना चाहिए। महिलाओं में अधिकतर खून की कमी (एनीमिया) की समस्या होती है। इसके लिये उनको आयरन फॉलिक एसिड युक्त भोज्य पदार्थ जैसे-खैरी चना, गुड़, हरे साग-सब्जियां को अपने भोजन में शामिल करना चाहिये।

श्रीमती डॉ काकोली पटनायक ने बताया कि घरेलू महिलाओं के साथ-साथ कामकाजी महिलायें भी अपने खान-पान पर ध्यान नहीं दे पातीं। कामकाजी महिलाओं को भी काम के साथ-साथ समय निकालकर अपने खान-पान पर ध्यान देना चाहिये व संतुलित आहार लेना चाहिये। आज बेटियॉ भी बेटों की तरह अपने माता-पिता का ध्यान रख रही हैं। बेटियॉ भी अपने माता-पिता को मुखाग्नि दे रहे हैं। किन्तु कई माता-पिता बेटे की चाहत रखते हैं और गर्भ में ही लिंग परीक्षण कराकर कन्या होने पर भ्रुण हत्या करवा रहे थे। इसको रोकने के लिये सभी सोनोग्राफी सेंटर को सीसीटीव्ही कैमरा के माध्यम से कलेक्ट्रेट से जोड़ दिया गया है। यदि कोई लिंग परीक्षण कराता है या किसी सोनोग्राफी सेंटर में लिंग परीक्षण किया जाता है तो उसकी जानकारी कलेक्ट्रेट में हो जाती है। लिंग परीक्षण कराने वालों को सात वर्ष तक की सजा एवं सोनोग्राफी सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-